(c) the action taken or proposed to be taken to implement the same?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) A Conference of State Forest Ministers was held in New Delhi on 18-19th April, 1994.

(b) and (c) Various issues relating to conservation and protection of forests, recruitment, training, Indian Forest Service cadre management, forestry research and wildlife conservation were discussed. State of forest cover and allied forestry matters in North-Eastern States were also specifically discussed. Recommendations have been made on these issues and are being conveyed to all concerned for implementation.

Deforestation in Rohtas and Jhabua Districts of Bihar

7657. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that palamau, Chotanagpur and Santhalparganas Hills and Bindhya ranges of Rohtas and Jhabua districts of Bihar have been denuded, deforested consistently over decades;

(b) whether it is a fact that growing economic activities in these regions have polluted Sone, Damodar and all other rivers of the area;

(c) whether it is a fact that the whole process of deforestation has adversely affected the ecology and environment of the whole area; and

(d) if so, what corrective measures Government will take in the matter with details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) to (d) Information is being collected from the state Govenment and will be laid on the Table of the House.

Cyclic Flood Havoc in North Bihar

7658. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that deforestation and consistent environmental degradation in the lower Himalayan regions of Nepal and Nepal Terai areas adjoining northern border of Bihar is causing cyclic flood havoc in North Bihar;

(b) whether it is also a fact that most of the North Bihar rivers like Koshi, Gandak, Narayani, Bagmati, Kamla Balan and Adhvara group of river originate in the Himalayas in Nepal; and

(c) if so, what steps Govenment are taking to control the situation with details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) Excessive soil erosion in the catchment areas in the Himalayas and heavy rainfall are the primary causes of floods in Bihar.

(b) Yes, Sir.

(c) Various measures like in-situ soil and moisture conservation through vegetative and engineering methods, afforestation in the catchment areas, stream bank stabilisation, embankment of rivers, etc. are taken up to control the floods.

कस्बों/नगरों में प्रदूषण की समस्या

7659. श्री जनार्दन यादव: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत के कितने कस्बों और नगरों में पर्यावरण की समस्या विद्यमान है; और

(ख) सरकार इससे निपटने के लिए क्या उपाय कर रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ): (क) भारत के सभी शहरों और नगरों में उद्योगों, मोटर वाहनों तथा घरेलू अपशिष्ट जल के

उत्सर्जनों/बहिस्रावों को छोड़े जाने के कारण कुछ सीमा तक जल और वायु प्रदूषण होता है। जिन बड़े शहरों में इस प्रकार की समस्याएं काफी हैं, उनमें दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता आते हैं। इसके अलावा, गंभीर प्रदूषण वाले क्षेत्रों की प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण सुधार के लिए सम्मिलित प्रयास किये जाने के लिए पहचान की गई है। इनमें निम्नलिखित आते हैं:

1. परवानू (हिमाचल प्रदेश)
2. काला आम्ब (हिमाचल प्रदेश)
3. हावड़ा (पश्चिम बंगाल)
4. दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल)
5. धनबाद (बिहार)
6. तलचर (उड़ीसा)
7. विशाखापत्तनम् (आन्ध्र प्रदेश)
8. कोरबा (मध्य प्रदेश)
9. मनाली-मद्रास (तमिलनाडु)
10. भद्रावती (कर्नाटक)
11. सिंगरौली (उत्तर प्रदेश)
12. पाली (राजस्थान)
13. नार्थ अरकोट (तमिलनाडु)
14. गोविन्दगढ़ (दिल्ली)
15. नजफगढ़ (दिल्ली)
16. वापी (गुजरात)
17. चेम्बूर (महाराष्ट्र)
18. ग्रेटर कोचीन (केरल)
19. डिगबोई (असम)
20. नागदा-रतलाम (मध्य प्रदेश)
21. पत्तनचेरू-बोलारम (आन्ध्र प्रदेश)
22. जोधपुर (राजस्थान)

(ख) बड़े नगरों और शहरों में प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(1) परिवेशी वायु और जल गुणवत्ता मानक अधिसूचित किये गये हैं।

(2) परिवेशी वायु गुणवत्ता और जल गुणवत्ता केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बहिःस्राव और उत्सर्जन मानक निर्धारित किये गये हैं।

(4) उद्योगों के स्थान-निर्धारण के लिए दिशा-निर्देश तैयार किये गये हैं।

(5) प्रदूषण की संभावना वाले उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से सहमति लेनी पड़ती है और एक निर्धारित समय सीमा के भीतर जरूरी प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने होते हैं। दोषी इकाइयों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है।

(6) बहिस्राव/उत्सर्जन मानकों के अनुपालन के लिए सरकार की विशेष कार्य योजना के तहत अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली 17 उद्योग क्षेणियों का पता लगाया गया है।

(7) प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को शिफ्ट करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

(8) विश्व बैंक की सहायता प्राप्त प्रदूषण नियंत्रण परियोजना के अंतर्गत बड़े उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इकाइयों के समूहों में साझे बहिःस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना के लिए परियोजना के अंतर्गत सरकारी सहायता और उदार ऋण भी दिये जाते हैं।

(9) केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अंतर्गत पैट्रोल और डीज़ल से चलने वाले दोनों प्रकार के वाहनों के लिए ठोस और द्रव मानदण्ड अधिसूचित किये गये हैं और इन नियमों का 1990 से कार्यान्वयन किया जा रहा है। विभिन्न राज्य परिवहन निदेशालयों को सलाह दी गई है कि वे इन मानकों को लागू करें।

(10) पैट्रोल में सीसे की मात्रा को 0.18 ग्राम प्रति लिटर के राष्ट्रीय औसत तक कम कर दिया गया है। इसमें आगे और कमी करने का प्रस्ताव है।

(11) वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने और उसे नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपायों के बारे में जन-जागरूकता अभियान चलाए गये हैं।

(12) केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के अंतर्गत सितम्बर, 1993 में वाहन उत्सर्जनों के लिए अधिक कठोर मानदण्ड अधिसूचित किये गये हैं जो 1996 से लागू होंगे।

(13) मोटर वाहन विनिर्माताओं को सलाह दी गई है कि वे अपनी प्रौद्योगिकी तैयार करें और उसमें सुधार करें ताकि वाहनों के उत्सर्जनों के लिए अधिक कठोर मानकों का पालन किया जा सके।

(14) नगर आयोजकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी योजनाओं में नगर-परिवहन की दीर्घकालीन अपेक्षाओं को शामिल करें।